[2022] 6 एस. सी. आर 772

/

[2022] 6 एस सी आर।

/

उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर.

बनाम

अखिल शारदा और ओआरएस।

(2022 की आपराधिक अपील No.840)

/

11 जुलाई, 2022

[न्यायमूर्ति एम**.** आर**.** शाह और न्यायमूर्ति बी**.** वी**.** नागरत्ना।**]**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:धारा 482-आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना-तथ्यों पर स्थिरता, एस. एस. के तहत एफ. आई. आर.।406 और 420 भारतीय दंड संहिता सी.-राजमार्गों से बीयर से लदे ट्रकों के गायब होने से संबंधित आरोप-उच्च न्यायालय ने जांच एजेंसी द्वारा दायर आरोप पत्र के साथ-साथ निचली विचारण न्यायालय द्वारा पारित समन आदेश सहित प्राथमिकी से उत्पन्न आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया-अपील पर कहा गयाःउच्च न्यायालय ने वस्तुतः एक लघु परीक्षण किया, जिसकी इस स्तर पर अनुमति नहीं थी-आवेदन यू/एस पर निर्णय लेने के स्तर पर।482, उच्च न्यायालय विचार किए जा रहे विशेष मामले के साक्ष्य की सराहना नहीं कर सकता है-कुल मिलाकर आरोप बीयर/वर्जित सामान ले जाने वाले ट्रकों का गायब होना है जो आबकारी विभाग और उत्पाद शुल्क विधि के नियमों और विनियमों के अधीन हैं-उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया कि आबकारी विभाग को कोई नुकसान नहीं हुआ है-उच्च न्यायालय ने एक बड़ी साजिश के आरोपों की सराहना नहीं की और/या उन पर विचार नहीं किया, और यह कि दोनों प्राथमिकियां आपस में जुड़ी हुई हैं और मुख्य साजिश का हिस्सा हैं जो अगर सच पाई जाती हैं तो बहुत गंभीर है-इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया-आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश अस्थिर है, और इस प्रकार, रद्द और अलग कर दिया गया।

/

/

/

/

निर्णय/आदेशःउच्च न्यायालय की घोषणा-त्वरित निपटान-आवश्यकता-ने निर्णय के लिए आरक्षित तिथि से छह महीने की अवधि के बाद निर्णय दिया-आयोजितःयह हमेशा विवेकपूर्ण होता है कि उच्च न्यायालय दलीलें पूरी होने और निर्णय सुरक्षित रहने के बाद जल्द से जल्द निर्णय दे।

/

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया :**1.1** उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को देखने के बाद, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया था

/

772 ए.

773

उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. बनामअखिल शारदा और ओआरएस।

धारा **482** दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जांच एजेंसी द्वारा दायर आरोप पत्र के साथ-साथ निचली विचारण न्यायालय द्वारा पारित समन आदेश सहित मामला अपराध संख्या **260** से उत्पन्न आपराधिक कार्यवाही को दरकिनार करते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने वस्तुतः एक लघु परीक्षण किया, जो इस स्तर पर अनुज्ञेय नहीं है और धारा **482** दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत आवेदन पर निर्णय लेते समय। उच्च न्यायालय द्वारा धारा **482** दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोई लघु परीक्षण नहीं किया जा सकता है। अधिकार क्षेत्र और धारा **482** दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत आवेदन पर निर्णय लेने के चरण में, उच्च न्यायालय विशेष मामले के साक्ष्य पर विचार करने की सराहना नहीं कर सकता है।**[**पैरा **7] [782-**एफ-एच**]**

/

/

1.2 यहां तक कि उच्च न्यायालय ने भी राय दी है कि आरोप बहुत गंभीर हैं और इसके लिए आगे की जांच की आवश्यकता है और इसलिए उच्च न्यायालय ने **2019** की प्राथमिकी संख्या **227** के संबंध में सी. बी.-सी. आई. डी. द्वारा जांच करने का निर्देश दिया है। हालाँकि, सी. बी.-सी. आई. डी. को आगे की जाँच/जाँच करने का निर्देश देते हुए, उच्च

न्यायालय ने जाँच के दायरे को सीमित कर दिया।उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की सराहना नहीं की और इस पर विचार नहीं किया कि **2018** की एफ**.** आई**.** आर**. Nos.260** और **2019** की **227** दोनों एफ**.** आई**.** आर**.** को आपस में जुड़ा हुआ कहा जा सकता है और एक बड़ी साजिश के आरोपों की जांच की आवश्यकता है।यह आरोप लगाया गया है कि कुल मिलाकर आरोप बीयर/वर्जित वस्तुओं को ले जाने वाले ट्रकों का गायब होना है जो आबकारी विभाग और उत्पाद शुल्क विधि के नियमों और विनियमों के अधीन हैं। उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया कि आबकारी विभाग को कोई नुकसान नहीं हुआ है।हालाँकि**,** उच्च न्यायालय ने बड़ी साजिश के आरोपों की बिल्कुल भी सराहना नहीं की।एफ़**.** आई**.** आर**.** को विश्वकोश होने की आवश्यकता नहीं है।**[**पैरा **7.2,7.3] [783-**सी**-**ई**]**

/

/

/

सतपाल बनाम हरियाणा (2018) 6 एस. सी. सी. 110-पर निर्भर था।

/

1.3 अन्यथा**,** यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि दो ट्रकों के लापता होने का आरोप जांच की शुरुआत थी और जब जांच के दौरान यह आरोप लगाया गया था कि पहले भी कई ट्रक प्रतिबंधित वस्तुओं का परिवहन नहीं कर रहे थे**,** तो प्राथमिकी को सीमित नहीं किया जाना चाहिए था।

/

/

केवल दो ट्रकों का गायब होना और उसके बाद माल वापस लौटना।उच्च न्यायालय ने बड़ी साजिश के आरोप की बिल्कुल भी सराहना नहीं की है और/या इस पर विचार नहीं किया है और यह कि दोनों प्राथमिकियां/आपराधिक मामले आपस में जुड़े हुए हैं और मुख्य साजिश का हिस्सा हैं जो सच पाए जाने पर बहुत गंभीर है।हालाँकि**,** यह न्यायालय आगे कोई टिप्पणी करने से बचता है क्योंकि कार्यवाही के इस स्तर पर**,** केवल धारा **482** दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत आवेदन पर निर्णय लेने का चरण है और क्योंकि दोनों मामलों का मुकदमा अभी होना बाकी है।मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने धारा **406** के अंतर्गत दर्ज **2019** के आपराधिक मामले **No.5694** और **2018** पीएस के केस क्राइम **No.260** से उत्पन्न आपराधिक कार्यवाही अपास्त करते हुए करने और रद्द करने में गंभीर/गंभीर त्रुटि की है।**[**पैरा **7.4] [783-**एफ**-**एच**; 784-**ए**-**बी**]**

/

/

1.4 उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने वाला आक्षेपित निर्णय और आदेश टिकाऊ नहीं है।उच्च न्यायालय ने धारा **482** दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही अपास्त करते हुए करने में अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश अपास्त करते हुए कर दिया जाता है और धारा **406** के अंतर्गत आपराधिक कार्यवाही अपास्त करते हुए करने और रद्द करने की सीमा तक अलग कर दिया जाता है।निचली विचारण न्यायालय के समक्ष कार्यवाही को दाखिल करने के लिए बहाल करने का आदेश दिया जाता है।**[**पैरा **7.1,8] [784-**सी**]**

/

/

ओडिशा बनाम प्रतिमा मोहंती **(2021)** एससीसी ऑनलाइन एससी

1222; सी**.** बी**.** आई बनाम थोमंद्रु **(2021)** एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन एस**.** सी**. 923;**

राजीव गौरव बनाम बैसाहब **(2020) 3** एस**.** सी**.** सी**. 317;** निहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाम महाराष्ट्र **(2021)** एस**.** सी**.** सी**.**

/

ऑनलाइन एससी**315-**पर भरोसा किया।

च**.** भजन लाल बनाम हरियाणा राज्य **(1992) 1** पूरक।

एससीसी 335:[1990] 3 पूरक।एस. सी. आर. 259; इंडियन ऑयल

निगम बनाम इंडिया लिमिटेड और अन्य **(2006) 6**

एससीसी 736:[2006] 3 पूरक।एस. सी. आर. 704; जेटिंग इंफोट्रेन लिमिटेड बनाम.उत्तर प्रदेश राज्य (2015) 11 एस. सी. सी. 730:[2006] 3 पूरक।

/

एससीआर **704;** राजीव थापर बनाम मदन लाल कपूर **(2013) 3**

एससीसी 330:[2013] 3 एस. सी. आर. 52; डिवाइन रिट्रीट बनाम केरल (2008) 3 एस. सी. सी. 542:[2008] 4 एस. सी. आर. 701-संदर्भित।

/

उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. बनामअखिल शारदा और ओआरएस।

/

2. उच्च न्यायालय ने मामले को निर्णय के लिए सुरक्षित रखने के छह महीने की अवधि के बाद आक्षेपित निर्णय और आदेश दिया।यद्यपि उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को केवल उक्त आधार पर अलग नहीं किया जा सकता है**,** तथापि यह हमेशा सलाह दी जाती है कि उच्च न्यायालय दलीलें समाप्त होने और निर्णय सुरक्षित रहने के बाद जल्द से जल्द निर्णय दे।**[**पैरा **6.2] [781-**जी**-**एच**; 782-**ए**]**

/

अनिल राय बनाम बिहार राज्य (2001) 7 एससीसी 318:[2001] 1

पूरक।एससीआर **298;** भगवानदास फतेचंद दासवानी और ओआरएस**.** वी**.**एच**.** पी**.** ए**.** इंटरनेशनल और अन्य। **(2000) 2** एससीसी **13:**

[2000] 1 एस**.** सी**.** आर**. 254-**संदर्भित।संदर्भित निर्णय

/

[2013] 3 एससीआर **52**

संदर्भित

पैरा **4.10**

[2008] 4 एससीआर **701**

संदर्भित

पैरा **4.10**

/

[2001] 1 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 298** पैरा **4.11 [1990] 3** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एस**.** सी**.** आर**. 259** पैरा **5.1 [2006] 3** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एस**.** सी**.** आर**. 704** पैरा **5.2 [2006] 3** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एस**.** सी**.** आर**. 704** पैरा **5.2 [2000] 1** एस**.** सी**.** आर**. 254** पैरा **6.2 (2020) 3** एस**.** सी**.** सी**. 317** को संदर्भित किया गया

/

पैरा **7.1**

(2018) 6 एस**.** सी**.** सी **110**

पर विश्वास किया

पैरा **7.3**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2022 की आपराधिक अपील No.840।

/

2019 के यू/एस 482/378 407 No.2005 में इलाहाबाद, लखनऊ पीठ, लखनऊ में उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।

सह

/

2022 की आपराधिक अपील No.841

सुश्री ऐश्वर्या भाटी, ए. एस. जी., शरण ठाकुर, ए. ए. जी., डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, रंजीत कुमार, सिद्धार्थ दवे, वरिष्ठ अधिवक्ता।, आदर्श उपाध्याय, सिद्धार्थ ठाकुर, केतन पॉल, प्रांजल शर्मा, विश्वेंद्र

/

776

/

[2022] 6 एस सी आर।

/

सिंह, सुश्री श्रेया जैन, गौरव मेहरोत्रा, नदीम मुर्तजा, तल्हा अब्दुल रहमान, अमित भंडारी, एम. शाज खान, हर्षवर्धन केडिया, अजय भार्गव, सुश्री वनिता भार्गव, करण गुप्ता, सुश्री सौम्या चतुर्वेदी मेसर्स खेतान एंड कंपनी, एड.उपस्थित पक्षकारों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

/

एम**.** आर**.** शाह**,** जे**.**

1. इलाहाबाद, लखनऊ पीठ, लखनऊ में उच्च न्यायालय द्वारा 2019 की धाराओं 482/378/407 No.2005 के अंतर्गत पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पीएस-हुसैनगंज, जिला-लखनऊ, यू.

पी. राज्य में दर्ज 2018 की धारा 406 के अंतर्गत दर्ज मामले अपराध No.260 से उत्पन्न आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है, साथ ही साथ मूल सूचना देने वाले ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

/

/

2. संक्षेप में वर्तमान अपीलों की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैं -

इसके अंतर्गतः

सुविधा के लिए, पक्षों को यू. पी. राज्य द्वारा दायर 2022 की आपराधिक अपील No.840 में कारण शीर्षक के अनुसार संदर्भित किया जाता है।4 इसमें मेसर्स यूनाइटेड ब्रुअरीज लिमिटेड बीयर की बिक्री के निर्माण में लगी हुई है जो उत्पाद शुल्क अधिनियम और राज्य के अन्य प्रासंगिक खंड द्वारा विनियमित और शासित है।प्रत्यर्थी संख्या 5-मेसर्स बीहाइव अल्कोवेब एक लाइसेंस प्राप्त फर्म है जिसके पास एफ. एल. 2 बी लाइसेंस है, जो कंपनी से सामान खरीदकर बीयर आदि के व्यवसाय में लगी हुई है, प्रत्यर्थी संख्या 5-संजीत जयवाल-2018 की एफ. आई. आर. No.260 की मूल सूचना देने वाला, कंपनी का प्रबंधक-मेसर्स बीहाइव अल्कोवेब।07.09.2018 पर शाम 7.56 बजे उत्तरदाता सं।5 उत्तरदाता संख्या 4-मेसर्स यूनाइटेड ब्रुअरीज लिमिटेड को बीयर के तीन ट्रकों की डिलीवरी के लिए ई-मेल के माध्यम से शाम 7.56 बजे और 11.09.2018 पर मांग आदेश भेजा गया और लखनऊ में दो और वाराणसी में एक ट्रक की डिलीवरी के लिए कुल Rs.92,98,902/- की राशि हस्तांतरित की गई।उत्तरदाता नं.4 अपने ट्रांसपोर्टर एस. आई. सी. ए. एल. लॉजिस्टिक्स लिमिटेड कंपनी को एक वाहन की व्यवस्था करने और प्रतिवादी नं.5/सूचना देने वाला।उसी को आगे बढ़ाते हुए, मैसर्स एस. आई. सी. ए. एल. लॉजिस्टिक्स लिमिटेड कंपनी ने एक अन्य परिवहन कंपनी से संपर्क किया, जिसने बदले में ट्रक पंजीकरण संख्या यू. पी.-32 एच. एन./3209 और यू. पी.-32 एफ. एन./8048 के माध्यम से प्रतिवादी संख्या की खेप की डिलीवरी के लिए दो ट्रकों को किराए पर लिया।5/स्थानांतरण अनुमति प्राप्त करने के बाद लखनऊ को सूचना देने वाला ए

/

/

/

/

उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. बनामअखिल शारदा और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

आबकारी विभाग से एफ. एल.-36।ट्रकों को जी. पी. एस. प्रणालियों के साथ सक्षम किया गया था जैसा कि आबकारी विभाग की ट्रैक और ट्रेस नीति द्वारा बनाए रखा गया था।2.1 बीयर की खेप उपरोक्त दो ट्रकों के माध्यम से 11.09.2018 पर भेजी गई थी।दोनों ट्रकों के जी. पी. एस. उपकरणों का जी. पी. एस. ट्रैकिंग एजेंसी से 11.41 बजे के बाद संपर्क टूट गया।13.09.2018 पर लगभग 16.40 बजे।जब ट्रांसपोर्टर ने अपने मोबाइल फोन के माध्यम से चालक मुकेश से उसके मोबाइल फोन पर संपर्क किया, तो उसे सूचित किया गया कि वाहन "प्रवेश नहीं होने" के कारण चौहान ढाबा (लखनऊ के बाहरी क्षेत्र) में लखनऊ के जूनाबगंज के पास खड़े थे।ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बाद न तो ट्रेसर से संपर्क किया जा सका और न ही वाहनों का पता लगाया जा सका।आपूर्तिकर्ता से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर, प्रत्यर्थी नं।1 और पूरा भुगतान किए जाने के बावजूद माल की डिलीवरी नहीं की जा रही थी और माल बीच में ही गायब हो गया था, प्रतिवादी नं।5 भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 406 और 420 के अंतर्गत अपराध के लिए 2018 का मामला अपराध No.260 वाली वर्तमान एफ. आई. आर. दर्ज की गई। इस बीच, मेसर्स एस. आई. सी. ए. एल. लॉजिस्टिक्स के प्रबंधक ने भी दो ट्रक चालकों और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 420 और 406 पी. एस. बादलपुर, गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत 2018 के केस क्राइम No.390 के साथ एक अलग एफ़. आई. आर. दर्ज की।जाँच के समापन के बाद, जाँच अधिकारी ने प्रतिवादी नं.5 2018 के केस क्राइम No.26 दिनांक 10.02.2018 में और उसके बाद विद्वान मजिस्ट्रेट ने दिनांक 13.02.2019 का समन आदेश पारित किया।इसके बाद भी जांच अधिकारी पीएस बादलपुर ने 2019 पीएस-बंथरा, जिला लखनऊ (2018 का पुराना No.390) के केस क्राइम No.227 से उत्पन्न मामले में आरोप पत्र भी दायर किया है।इसके बाद मूल सूचना देने वाले को सामान वितरित किया गया।साथ ही, उत्तरदाता नं।1 उत्तरदाता नं.4 इसमें, 2019 के आपराधिक मामले No.5694 (2018 की प्राथमिकी No.260 से उत्पन्न) के आरोपी ने निम्नलिखित मुख्य राहतों की मांग करते हुए 2019 की धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत एक आवेदन के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटायाः“(i) धारा 406,420,467,468,471,120-बी आई. पी. सी., पुलिस स्टेशन-हुसैनगंज, जिला लखनऊ के अंतर्गत आपराधिक मामला संख्या 5694/2019, मामला अपराध संख्या 0260/2018 में पारित दिनांक 13.02.2019 के आक्षेपित समन आदेश को दरकिनार कर दें।

/

/

/

/

/

/

(ii) धारा 406,420,467,468,471,120-बी आई. पी. सी., पुलिस स्टेशन-हुसैनगंज, जिला-लखनऊ के अंतर्गत केस क्राइम नंबर 0260/2018 में जांच अधिकारी द्वारा दायर दिनांक 10.02.2019 के आक्षेपित आरोप पत्र को दरकिनार कर दें।

/

(iii) धारा 406,420,467,468,471,120-बी आई. पी. सी., पुलिस स्टेशन-हुसैनगंज, जिला-लखनऊ के अंतर्गत मामला अपराध संख्या 0260/2018 की पूरी कार्यवाही को दरकिनार कर दें। "

2.2 आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2019 के आपराधिक मामला संख्या 5694 (2018 पीएस-हुसैनगंज, जिला-लखनऊ के मामला अपराध संख्या 260 से उत्पन्न) से उत्पन्न आरोप पत्र और समन आदेश सहित पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है।

/

2.3 उच्च विचारण न्यायालय द्वारा आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने वाले आक्षेपित निर्णय और आदेश और 2019 के आपराधिक मामले में विद्वत निचली अदालत द्वारा पारित समन आदेश (2018 पीएस-हुसैनगंज, जिला-लखनऊ के केस क्राइम No.260 से उत्पन्न) से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, राज्य के साथ-साथ मूल सूचना देने वाले ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

/

3. सुश्री ऐश्वर्या भाटी, विद्वान ए. एस. जी. अपीलार्थी की ओर से पेश हुई हैं-उत्तर प्रदेश राज्य और डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता मूल सूचनादाता की ओर से पेश हुए हैं।मूल अभियुक्त की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रंजीत कुमार और विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ दवे पेश हुए हैं।4. सुश्री भाटी, विद्वान ए. एस. जी. और डॉ. सिंघवी, मूल मुखबिर की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है

कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने में गंभीर/गंभीर त्रुटि की है।

/

/

4.1 राज्य के साथ-साथ मूल सूचना देने वाले की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि 2018 के केस क्राइम No.260 से उत्पन्न आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित करते समय उच्च न्यायालय ने उचित रूप से सराहना नहीं की है और/या बड़ी साजिश पर विचार नहीं किया है।

/

4.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की सराहना नहीं की है और/या इस पर विचार नहीं किया है कि 2018 की मामला अपराध संख्या 260 और 2019 की 227 दोनों प्राथमिकियां आपस में जुड़ी हुई हैं और इन्हें अलग नहीं किया जा सकता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय को 2018 की एक प्राथमिकी केस क्राइम No.260 से उत्पन्न आपराधिक कार्यवाही को दरकिनार नहीं करना चाहिए था।

/

/

779

उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. बनामअखिल शारदा और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

/

4.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय 2018 की एफ. आई. आर. No.260 में लगाए गए आरोपों पर ध्यान देने और/या उनकी सराहना करने में विफल रहा है, जो उत्तर प्रदेश में राजमार्गों से बीयर से लदे ट्रकों के गायब होने से संबंधित थे, जिसमें जाली डेटा बनाने और प्रतिवादी-अभियुक्त के खिलाफ गलत डेटा अपलोड करने के आरोप शामिल हैं।

/

4.4 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित करके उच्च न्यायालय ने जांच के दायरे को कम और संकुचित कर दिया है।

4.5 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय भी इस बात से सहमत है कि आरोप गंभीर हैं और जांच की आवश्यकता है।हालाँकि, उस संबंध में आगे की प्रार्थना के बिना और अभियुक्त

के कहने पर, उच्च न्यायालय ने अभियुक्तों द्वारा स्वयं दर्ज 2019 की एफ़. आई. आर. No.227 की जाँच के लिए जाँच को सी. बी.-सी. आई. डी. को स्थानांतरित कर दिया है।
4.6 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित करते समय और आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते समय उच्च न्यायालय ने मामले के विभिन्न पहलुओं की उचित रूप से सराहना और विचार नहीं किया है और अभियुक्त की संलिप्तता पर विचार नहीं किया गया है।

/

/

4.7 यह प्रस्तुत किया जाता है कि बीयर से लदे दो पूरे ट्रक गायब हो गए और बीयर की बोतलें नहीं मिलीं।संबंधित माल की कोई बरामदगी या जब्ती नहीं हुई।जाँच के दौरान यह सामने आया था कि बीयर की बोतलों से लदे ट्रकों के गायब होने के ऐसे अन्य उदाहरण थे।यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियुक्त व्यक्तियों की मिलीभगत से एक सिंडिकेट काम कर रहा है।

/

4.8 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जिस तरह से बीयर की बोतलों से भरे ट्रक गायब हो गए और कार्यप्रणाली को अपनाया गया, इतने गंभीर मामले में लेकिन उच्च न्यायालय ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है; कि उच्च न्यायालय ने धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है।

/

4.9 यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए उच्च न्यायालय ने एक लघु परीक्षण किया है जो धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते समय अनुमत नहीं है।

/

4.10 संबंधित अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर बहुत अधिक भरोसा किया है।

/

उनकी उपरोक्त प्रस्तुतियों के समर्थन में और आक्षेपित निर्णय और आदेश को रद्द करने और अलग करने की प्रार्थना।

(i) ओडिशा बनाम प्रतिमा मोहंती, 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1222 [पैरा 14,15,16,18 और 22]

(ii) सी. बी. आई. बनाम थोमंद्रु, 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 923 (iii) राजीव गौरव बनाम बैसाहब, (2020) 3 एस. सी. सी. 317

/

(iv) नीहरिका इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाम महाराष्ट्र, 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 325

(v) राजीव थापर बनाम मदन लाल कपूर, (2013) 3 एस. सी. सी. 330।(vi) डिवाइन रिट्रीट बनाम केरल, (2008) 3 एस. सी. सी. 542।

/

4.11 अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने निर्णय के लिए आरक्षित तिथि से छह महीने की अवधि के बाद निर्णय दिया।इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश रद्द किए जाने और खारिज किए जाने के योग्य हैं।अनिल राय बनाम बिहार राज्य के मामले में रिलायंस को इस न्यायालय के फैसले में रखा गया है।

/

(2001) 7 एससीसी 318।

उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त निर्णय ों पर भरोसा करते हुए यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपीलों और रद्द करने की अनुमति दी जाए और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश अपास्त करते हुए कर दिया जाए और पीएस-हुसैनगंज, जिला-लखनऊ में दर्ज 2018 की धारा 406 के अंतर्गत दर्ज मामले अपराध संख्या 260 से उत्पन्न आपराधिक कार्यवाही अपास्त करते हुए कर दिया जाए।

/

/

5. इन दोनों अपीलों का विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रंजीत कुमार और संबंधित अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ दवे ने जोरदार विरोध किया है।

5.1 मूल अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने जोरदार रूप से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और यह संतुष्ट होने के बाद कि भारतीय दंड संहिता

सी. की धारा 406,420 के तत्व नहीं बनाए गए हैं और मामला इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों के भीतर आता है। भजन लाल बनाम हरियाणा राज्य 1992 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 335 जिन पर आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते समय विचार किया जाना आवश्यक है, माननीय उच्च न्यायालय ने ए.

/

/

781

उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. बनामअखिल शारदा और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

आपराधिक कार्यवाही अपास्त करते हुए करने और दरकिनार करने में कोई त्रुटि नहीं की।

5.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि मूल अभियुक्त अपनी कंपनी से बीयर से लदे ट्रकों के लापता होने के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तव में उत्तरदाताओं-मूल अभियुक्त ने माल को एस. आई. सी. ए. एल. लॉजिस्टिक नाम के ट्रांसपोर्टर को वितरित किया और बदले में दो ट्रकों को किराए पर लिया।यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह एस. आई. सी. ए. एल. लॉजिस्टिक था जिसने सूचना देने वाले को सामान पहुँचाने के लिए वाहनों की व्यवस्था की थी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उसके बाद माल वितरित कर दिया गया है।उच्च न्यायालय ने यह भी पाया कि आबकारी विभाग को कोई नुकसान नहीं हुआ था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि मुखबिर द्वारा मुख्य शिकायत/विवाद छूट के संबंध में था और इसलिए दुर्भावनापूर्ण इरादे से, प्राथमिकी दर्ज की गई थी।कि जहाँ तक छूट का संबंध है, प्राथमिकी में कोई आरोप नहीं लगाया गया था। इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने आपराधिक कार्यवाही अपास्त करते हुए करने और दरकिनार करने में कोई त्रुटि नहीं की है, क्योंकि यह विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं था।च. के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए। भजन लाल

/

/

/

(ऊपर); इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बनाम N.E.P.C। इंडिया लिमिटेड और अन्य-(2006) 6 एस. सी. सी. 736 में रिपोर्ट किए गए; राजीव थापर (ऊपर) और जेटिंग इंफोट्रेन लिमिटेड बनाम।उत्तर प्रदेश राज्य, (2015) 11 एस. सी. सी. 730., यह प्रार्थना की जाती है

/

वर्तमान अपीलों को खारिज कर दें।6. हमने संबंधित पक्षों के लिए विद्वान वकील को विस्तार से सुना है।

6.1 शुरुआत में, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2018 के केस क्राइम No.260 वाली प्राथमिकी से उत्पन्न आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है, जिसमें जांच एजेंसी द्वारा दायर आरोप पत्र के साथ-साथ विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित समन आदेश भी शामिल है।

/

6.2 शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि उच्च न्यायालय ने मामले को निर्णय के लिए आरक्षित किए जाने के छह महीने की अवधि के बाद आक्षेपित निर्णय और आदेश दिया है।यद्यपि उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को केवल उपरोक्त आधार पर अलग नहीं किया जा सकता है, फिर भी यह हमेशा सलाह दी जाती है कि उच्च न्यायालय दलीलें समाप्त होने के बाद जल्द से जल्द निर्णय दे और

/

/

निर्णय सुरक्षित है।सुरक्षित निर्णय को जल्द से जल्द और उचित समय के भीतर घोषित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए इस न्यायालय ने अनिल राय (उपरोक्त) के मामले में पैरा 9 में निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित किया हैः

“9. यह सच है कि उच्च न्यायालयों के लिए, सिविल प्रक्रिया संहिता या दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निर्णय की घोषणा के लिए कोई अवधि पर विचार नहीं किया जाता है, लेकिन चूंकि निर्णय की घोषणा न्याय वितरण प्रणाली का एक हिस्सा है, इसलिए इसे बिना किसी देरी के होना चाहिए।हमारे जैसे देश में जहां लोग न्यायाधीशों को भगवान के बाद दूसरे स्थान पर मानते हैं, वहां आम आदमी के उस विश्वास को मजबूत करने का प्रयास किया जाना चाहिए।मामलों के निपटारे में देरी लोगों को भौंहें उठाने में मदद करती है, कभी-कभी वास्तव में, अगर इसकी जाँच नहीं की जाती है, तो न्यायिक प्रणाली में लोगों का विश्वास हिल सकता है।एक समय आ गया है जब न्यायपालिका को स्वयं विधि के शासन की प्राप्ति के

लिए अपने कद, सम्मान और सम्मान को बनाए रखने के लिए जोर देना पड़ता है।कुछ लोगों की गलती के बावजूद न्यायपालिका के गौरवशाली और चमकते नाम को भद्दा बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।यह विधि की नीति और उद्देश्य है कि त्वरित न्याय हो, जिसके लिए त्वरित, बेदाग और अप्रदूषित न्याय सुनिश्चित करने की समाज की अपेक्षा पर खरा उतरने के लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। "

/

/

/

उपरोक्त निर्णय में इस न्यायालय ने एक अन्य मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर भी ध्यान दिया है -

/

भगवानदास फतेचंद दासवानी और ओआरएस बनामएचपीए इंटरनेशनल

और अन्य., (2000) 2 एस. सी. सी. 13 कि "निर्णय देने में लंबी देरी किसी मामले में पक्षों के दिमाग में अनावश्यक अटकलों को जन्म देती है।"

/

7. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को देखने के बाद, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही को दरकिनार कर दिया है, ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने वस्तुतः एक लघु परीक्षण किया है, जो इस स्तर पर अनुमत नहीं है और धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत आवेदन पर निर्णय लेते समय। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा निर्णय ों के एक समूह में देखा और अभिनिर्धारित किया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोई लघु परीक्षण नहीं किया जा सकता है। अधिकार क्षेत्र और धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत आवेदन पर निर्णय लेने के चरण में, उच्च न्यायालय विचार किए जा रहे विशेष मामले के साक्ष्य की सराहना नहीं कर सकता है।

/

/

783

उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. बनामअखिल शारदा और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

/

(प्रतिमा **(**सुप्रा**);** थोम **(**सुप्रा**);** राजीव **(**सुप्रा**)** और निहारिका **(**सुप्रा**)** देखें।

7.1 उपरोक्त निर्णय ों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि को मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए और जिस तरह से उच्च न्यायालय ने धारा 482 Cr.P.C के अंतर्गत याचिका को अनुज्ञात है, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने वाला आक्षेपित निर्णय और आदेश अस्थिर है।उच्च न्यायालय ने धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने में अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है।

/

7.2 यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि स्वयं उच्च न्यायालय ने भी राय दी है कि आरोप बहुत गंभीर हैं और इसके लिए आगे की जांच की आवश्यकता है और इसलिए उच्च न्यायालय ने 2019 की एफ. आई. आर. No.227 के संबंध में सी. बी.-सी. आई. डी. द्वारा जांच करने का निर्देश दिया है।हालाँकि, सीबी-सी. आई. डी. को आगे की जाँच/जाँच करने का निर्देश देते हुए, उच्च न्यायालय ने जाँच के दायरे को सीमित कर दिया है।उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की सराहना और विचार नहीं किया है कि 2018 की एफ. आई. आर. Nos.260 और 2019 की 227 दोनों एफ. आई. आर. को आपस में जुड़ा हुआ कहा जा सकता है और एक बड़ी साजिश के आरोपों की जांच की आवश्यकता है।यह आरोप लगाया गया है कि कुल मिलाकर आरोप बीयर/वर्जित वस्तुओं को ले जाने वाले ट्रकों का गायब होना है जो आबकारी विभाग और उत्पाद शुल्क विधि के नियमों और विनियमों के अधीन हैं। 7. 3 उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है कि आबकारी विभाग को कोई नुकसान नहीं हुआ है।हालाँकि, उच्च न्यायालय ने बड़ी साजिश के आरोपों की बिल्कुल भी सराहना नहीं की है।एफ़. आई. आर. को विश्वकोश होने की आवश्यकता नहीं है (सतपाल बनाम.

/

/

/

हरियाणा**, (2018) 6** एससीसी **110** पैरा **7)**।

/

7.4 अन्यथा, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि दो ट्रकों के लापता होने का आरोप जांच की शुरुआत थी और जब जांच के दौरान यह आरोप लगाया गया था कि पहले भी कई ट्रक प्रतिबंधित वस्तुओं का परिवहन नहीं कर रहे थे, तो प्राथमिकी केवल दो ट्रकों के लापता होने और उसके बाद माल की वापसी तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए थी।उच्च न्यायालय ने बड़ी

साजिश के आरोप की बिल्कुल भी सराहना नहीं की है और/या इस पर विचार नहीं किया है और यह कि दोनों प्राथमिकियां/आपराधिक मामले आपस में जुड़े हुए हैं और मुख्य साजिश का हिस्सा हैं जो सच पाए जाने पर बहुत गंभीर है।हालाँकि हम कार्यवाही के इस चरण में आगे कोई टिप्पणी करने से बचते हैं क्योंकि हम धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत आवेदन पर निर्णय लेने के चरण में हैं।

/

/

784

/

[2022] 6 एस सी आर।

दोनों मामलों की सुनवाई अभी होनी बाकी है।इसलिए, हम आगे कोई भी टिप्पणी करने से बचते हैं जो किसी भी पक्ष के मामले को प्रभावित कर सकती है।यह कहने और उल्लेख करने के लिए पर्याप्त है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने 2019 के आपराधिक मामले No.5694 और 2018 के मामले अपराध No.260 से उत्पन्न आपराधिक कार्यवाही अपास्त करते हुए करने और दरकिनार करने में एक गंभीर/गंभीर त्रुटि की है, जो पीएस-हुसैनगंज, जिला-लखनऊ में पंजीकृत धारा 406 के अंतर्गत दर्ज की गई है।

/

8. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारण के लिए ये दोनों अपील सफल होती हैं।उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को एतद्द्वारा रद्द कर दिया जाता है और पीएस-हुसैनगंज, जिला-लखनऊ में पंजीकृत 2018 पीएस की धारा 406 के अंतर्गत दर्ज केस क्राइम No.260 से उत्पन्न 2019 के आपराधिक कार्यवाही आपराधिक मामले No.5694 अपास्त करते हुए करने और दरकिनार करने की सीमा तक अलग कर दिया जाता है।

/

2019 के आपराधिक मामले No.5694 में विद्वत विचारण विचारण न्यायालय के समक्ष कार्यवाही को फाइल करने के लिए बहाल करने का आदेश दिया गया है।वर्तमान अपीलों को तदनुसार उपरोक्त सीमा तक अनुज्ञात जाती है।

/

निधि जैन

अपीलों की अनुज्ञात गई।

/

/

/

/